उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

राज्य नियोजन संस्थान (नवीन भवन)
कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ–226007

पत्रांक 9854 /यू.पी.रेरा/तक.सेल./2020–21 दिनांकः27 अगस्त, 2022

कार्यालय आदेश

विषयः उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में पंजीकृत भू–सम्पदा अभिकर्ताओं को उ.प्र. रेरा नियमावली में निर्धारित फॉर्म–H के अनुसार निर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र में अंकित पंजीकरण अवधि के संशोधन हेतु शुल्क तथा रीति का निर्धारण।

उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में पंजीकृत भू–सम्पदा अभिकर्ताओं को उ.प्र. रेरा नियमावली में निर्धारित फॉर्म–H में पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसमें पंजीकरण की वैधता अवधि 05 वर्ष अंकित है। उ.प्र. भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली, 2016 के नियम–10(3) में भू–सम्पदा अभिकर्ता के पंजीकरण की अवधि 10 वर्ष निर्धारित की गयी है। उ.प्र. रेरा में भू–सम्पदा अभिकर्ताओं का पंजीकरण माह जुलाई 2017 के अंत में प्रारम्भ किया गया था और प्रारम्भिक महीनों में निर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्रों की 05 वर्ष की वैधता अवधि या तो समाप्त हो गयी है या समाप्त होने वाली है। उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा अपनी 99वीं एवं 100वीं बैठक में सम्पूर्ण वस्तुस्थिति पर विचार–विमर्श किया गया और भू–सम्पदा अभिकर्ताओं को प्रपत्र–H में निर्गत प्रमाण पत्र की वैधता अवधि के संशोधन की रीति तथा शुल्क के सम्बन्ध में निम्नवत व्यवस्था निर्धारित की गयीः–

उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में पंजीकृत भू–सम्पदा अभिकर्ताओं द्वारा प्राधिकरण द्वारा उ.प्र. रियल इस्टेट रेग्यूलेटरी अथॉरिटी (जनरल) रेग्यूलेशन्स, 2019 में नवीन रेग्यूलेशन 48 में भू–सम्पदा अभिकर्ता के एकल होने की दशा में रू. 1000/– तथा एकल से भिन्न होने की दशा में रू. 5000/– निर्धारित प्रसंस्करण (Processing) शुल्क के साथ प्रपत्र–H में निर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र में अंकित वैधता अवधि 05 वर्ष के स्थान पर संशोधन द्वारा 10 वर्ष करने के लिए प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रदत्त सुविधा के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करने पर प्रमाण पत्र के क्लॉज़–3 में अंकित पंजीकरण वैधता की अवधि पंजीकरण की तिथि से 05 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष कर दी जाएगी।

उ.प्र. रेरा में पंजीकृत भू–सम्पदा अभिकर्ताओं द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र में संशोधन हेतु उक्तानुसार निर्धारित व्यवस्था के अनुसार संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।

(राजेश कुमार त्यागी)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मा0 अध्यक्ष उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण कृपया।
2. मा0 सदस्य उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण कृपया।
3. वित्त नियंत्रक उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।

4. विधि सलाहकार उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
5. तकनीकी सलाहकार उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
6. सहायक निदेशक (आई.टी.) को प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. कार्यालय प्रति।

(राजेश कुमार त्यागी)
सचिव